# कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र ,मीरजापुर

पत्रांक- 125 /मीरजापुर/ 33 दिनांक, मीरजापुर, जुलाई 16, 2016

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

विषय– वेलेस्पन एनर्जी यू0पी0 प्रा0 लि0 द्वारा ग्राम–ददरी खुर्द,तहसील–सदर जिला–मीरजापुर में प्रस्तावित 1320 (2×660) मेंगा वाट ताप विद्युत गृह की स्थापना हेतु जलापूर्ती बाबत भूमिगत वाटर पाइप लाइन एवं सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 8.3581 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 296 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रिद कार्यालय (मध्य)का पत्रांक 8 बी/08/38/2016/एफ0 सी0/79 दिं0 13.05.2016 के क्रम में आपका पृष्ठाकन सं0. 2437/11.सी – FP/UP/THERMAL/14236/2015 दिं018.05.2016 एवं पत्रांक 13/11–सी/ FP/UP/THERMAL 14236/2015 लखनऊ दिं0 05.07.2016।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा विषयक के सम्बन्ध में कमियॉ/त्रुटियों का निराकरण भारत सरकार द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण आपके पत्रांक– 2501/11–सी, दिनांक 24.05.2016 के निर्धारित प्रारूप (टेबुलर फार्म ) में उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये है। उक्त के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर ने अपने कार्यालय के पत्रांक– 117 व 118/मीरजापुर/15 दिनांक 13.07.2016 द्वारा निर्धारित प्रारूप में आपत्तियों का निराकरण कर इस कार्यालय को निम्न प्रकार प्रेषित किया गया है :–

## भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रिद कार्यालय (मध्य)का पत्रांक–8 बी/08/38/2016/एफ0 सी0/79 दिं0 13.05.2016 के क्रम

| Observ No. | Observation of GoI | Reply |
|---|---|---|
| 1. | The proposal has not been submitted after analyzing other minimum three alternatives and selection of the alternative having minimum forest area. | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित भूमिगत वाटर पाइप लाइन एवं सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु तीन विकल्प रूट मैप प्रस्ताव में संलग्न किया गया हैं। इनमे से न्यूनतम वन क्षेत्र से सम्बन्धित विकल्प का ही चयन किया गया हैं। |
| 2. | At various places seal of different officials has not been affixed. | प्रस्ताव में विभिन्न अपेक्षित पृष्ठों पर सम्बन्धित अधिकारियो की मुहर लगा दी गयी हैं। |
| 3. | The user agency is a private entity and most of the certification/undertakings have not been counter signed by the concerned district level authorities. | प्रस्तावक संस्था द्वारा प्रस्तुत बचनबद्वता प्रमाण पत्र प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर दिया गया हैं। |
| 4. | The component wise break up of forest land requirement at B-2.4(part-I) is incorrect. | परियोजना के विभिन्न घटकों हेतु अपेक्षित वन भूमि का मदवार विवरण प्रस्तावक संस्था द्वारा पार्ट–1 के B- 2-4 के अनुसार अपेक्षित भूमिगत वाटर पाइप लाइन हेतु–5. 8162 हे0 एवं सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 2.5419 हे0 हैं जिसे तदनुसार संशोधित कर अंकित किया गया हैं। |

D:\Setelment\setelment drafting\saptahiki.doc

| | |
|---|---|
| 5. The project proponents/user agency have authorized three directors to sign on behalf of the company whereas the papers in hard copy has been signed by the 4th person one of the Managers. This needs clarification. | प्रस्तावक संस्था वेलेस्पन इनर्जी यू0पी0 प्रा0लि0 के बोर्ड आफ डाइरेक्टर का प्राधिकृत प्रतिनिधि के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र संलग्न हैं। |
| 6. The proposal is without relevant undertaking regarding conditions imposed by Department of Irrigation, UP Government & Central Water Commission. Ministry of Water Resources. Government of India regarding usage water from Ganga River. | प्रस्तावक संस्था वेलेस्पन इनर्जी यू0पी0 प्रा0लि0 द्वारा उपलब्ध कराया गया अन्डरटेकिंग मूल में संलग्न हैं। |
| 7. Form per the kml file enclosed regarding proposed forest land diversion, location of approach road cannot be deciphered. | निर्देशानुसार KMLफाइल अपलोड किया गया हैं। प्रति संलग्न हैं। |
| 8. The kml files for proposed forest land diversion are in poly-line format rather polygon format to be amenable for GIC DSS analysis. It has been noticed that only GPS coordinated of centre line has been provided in the kml files. The forest area has been masked therefore the assessment of other ground features cannot be done. | निर्देशानुसार KMLफाइल अपलोड किया गया हैं। प्रति संलग्न हैं। |
| 9. As per information provided at C (ii) (b) in part I, one segment of forest patch has been mentioned whereas on the map itself many forest segments are visible. | निर्देशानुसार KMLफाइल अपलोड किया गया हैं। प्रति संलग्न हैं। |
| 10. The justification note uploaded at D(i) mentions requirement of forest area is 7.6308 ha whereas the proposal has been submitted for 8.3581 ha of forest land which is erroneous and misleading. | प्रस्तावक संस्था द्वारा पूर्व में 7.6398 हे0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु part-1 में अपलोड किया गया था जिसे अब संशोधित कर 8.3581 हेक्टेयर कर दिया गया हैं। |
| 11. Forest land gazette notification uploaded with the proposal has not been authenticated by the concerned DFO. | वन भूमि का गजट प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा सत्यापित कर दिया गया हैं। |
| 12. The site suitability certificate uploaded mentions 7.6298 ha whereas proposal is for diversion of forest land to the extent of 8.3581 ha. Even mandatory requirement of equivalent non forest land to make good loss of forest has been fulfilled. The format of site suitability certificate is not as per requisite format. | उपयुक्तता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में संलग्न हैं। |

| | |
|---|---|
| 13. Topo sheet uploaded for location of approach road is hazy and without title, index & legend. | प्रस्तावक संस्था द्वारा Title,Index & legend सहित टोपोशीट उपलब्ध कराई गयी जिसे मूल में संलग्न किया गया हैं। |
| 14. Uploaded forest land calculation sheet is without details and has not been signed by the concerned DFO. | प्रस्ताव में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्तातंरित लैण्ड शेड्यूल संलग्न हैं। |
| 15. In part II, at Sr. No.5 regarding working plan prescription it is mentioned as "No Data". Reason for providing no data may be explained. | भाग–2 के कम सं0–5 कार्य योजना वर्ष 2014–15 से 2023–24 के अध्याय 1 के प्रस्तर सं0–1.23 में उल्लिखित हैं कि अभिलेखो में अंकित वन भूमि के गैर वानिकी कार्यो के प्रयोग हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अनुमति केन्द्र/भारत सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक हैं। |
| 16. In part II, at Sr No.6 regarding vulnerability of forest area for soil erosion, it has been mentioned that 'no soil erosion' which appears to be incorrect assessment and reason for such incorrect assessment needs to submitted. | भाग–2 के कम सं0–6 में अपेक्षित सूचना अपलोड कर दी गयी हैं। |
| 17. In part II, at Sr No. 11(i) it has been mentioned that work has been carried out in violation of FCA 1980 but the details have not been provided in 11(i) (a),(b)& (c). | भाग–2 के कम सं0–11(1) के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रस्तावक संस्था द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नही किया गया हैं। जैसा कि पूर्व में भी अपलोड किया गया हैं। अतः 11(1) (a)(b)&(c) से सम्बन्धित सूचना शून्य हैं। |
| 18. The compensatory afforestation has been proposed on equivalent non forest land for which uploaded site suitability certificate is not as per appropriate format. | क्षतिपूरक वनीकरण हेतु समतल्य गैर वन भूमि का उपयुक्ता प्रमाण पत्र निंधारित प्रारूप में संलग्न हैं। |
| 19. The estimate for compensatory Afforestation has been framed for 10 ha whereas the extent of CA is only 8.3581 ha. Therefore, the same needs revision as per the proposal. | 8.3581 हे0 में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु प्राक्कलन प्रस्ताव में संन्लग्न हैं। प्राक्कलन 10.00 हे0 के माडल प्रारूप के आधार पर तैयार किया गया हैं, न कि 10.00 हे0 हेतु। 10.00 हे0 क्षेत्रफल के माडल के आधार पर 8.3581 हे0 गैर वनभूमि हेतु क्षतिपूरक वनीकरण का प्राक्कलन तैयार किया गया हैं। |
| 20. The site inspection report (uploaded) is without seal of the concerned DCF. | मौके के स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट (चेक लिस्ट–25) पर मुहर लगा दी गयी हैं। |
| 21. The NPV calculation sheet is incorrect and needs revision. | एन.पी.वी. का आगणन पूर्व में 8.87 लाख प्रति हे0 की दर से किया गया था जिसको ईको क्लास व हरियाली घनत्व के आधार पर 6.26 लाख प्रति हेक्टेअर की दर से संशोधित किया गया। |

D:\Setelment\setelment drafting\saptahiki.doc

| | | |
|---|---|---|
| 4. | प्रस्ताव के पृष्ठ सं0 12 व 13 पर संलग्न टोपोशीट पर शीर्षक,इन्डेक्स एवं लीजेण्ड अंकित नहीं किया गया हैं। | प्रस्ताव के पृष्ठ सं0 12 व 13 पर संलग्न टोपोशीट से सम्बन्धित शीर्षक,इन्डेक्स व लीजेन्ड समेकित रूप से पृष्ठ सं0–11 पर संलग्न टोपोशीट में प्रदर्षित हैं। |
| 5. | बाधक वृक्षों का विवरण संलग्न है परन्तु प्रत्येक पृष्ठ पर प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हैं। | बाधक वृक्षों के विवरण के प्रत्येक पृष्ठ प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित कर दिये गये हैं। |
| 6. | ऑन–लाइन प्रस्ताव के भाग–2 के क्रमांक–7 में कोई डाटा फीड नहीं किया गया हैं। | आन–लाईन प्रस्ताव के भाग 2 के क्रमाक–7 में विवरण फीड कर दिया गया हैं। |

अतः प्रश्नगत मामले की आपत्तियों का निराकरण की अभिलेख संलग्नकर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

**संलग्नक– उपरोक्तानुसार ।**

भवदीय,

(के0एम0ठाकुर)
मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

**संख्या अ/समदिनांक**

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर को उनके कार्यालय के पत्र संख्या–117 व 118/मीरजापुर/15 दिनांक 13.07.2016 के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(के0एम0ठाकुर)
मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

D:\Setelment\setelment drafting\saptahiki.doc

| | |
|---|---|
| 22. Certification & NOCs from Village level Committees under FRA 2006 needs compilation and submission of on abstract sheet shoeing relevant forest area of each village. | वन अधिकार अधिनियम 2006 के सम्बन्ध में अपेक्षित प्रमाण पत्र प्रस्तावक संस्था द्वारा उपलब्ध कराया गया जो प्रस्ताव में सन्लग्न हैं। |
| 23. As per the details provided, the progress of compensatory a forestation is very low (mere 75 ha out of stipulated 360 ha). Reasons may be submitted for the same. | क्षतिपूरक वनीकरण की प्रगति की अद्यतन स्थिति प्रस्ताव में अंकित कर दी गयी हैं। |
| 24. Pages form 120 to 194 are not relevant. | प्रस्ताव में संन्लग्न पेज संख्या 120 से 194 प्रस्ताव से अलग कर प्रस्ताव की क्रम संख्या संशोधित कर दी गयी हैं। |
| 25. The proposal requires submission of detailed layout plan showing specific location of each major components of Thermal power plant. | प्रस्तावक संख्या द्वारा परियोजना का ले आउट प्लान उपलब्ध कराया गया हैं जो प्रस्ताव में संलग्न हैं। |
| 26. Two separate enumeration lists are required-<br>(a) Total trees standing on the proposed forest land<br>(b) Trees required to be felled. | यह कि प्रस्तावक संख्या द्वारा भूमिगत पाइप लाइन एवं सम्पर्क मार्ग निर्माण में बाधक समस्त 296 वृक्षों का पातन किया जाना हैं। तदनुसार प्रभावित व पातन किए जाने वाले वृक्षों की सूची समान हैं। |
| 27. Joint inspection by DFO has been done with whom because other signature is of Regional Office and if cannot be made out who is the third signatory. | संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रस्तावित वन भूमि का संयुक्त निरीक्षण प्रस्तावित संस्था के सक्षम अधिकारी के साथ किया गया। मौके पर प्रभागीय वनाधिकारी के साथ क्षेत्रीय वन अधिकारी मड़िहान, मीरजापुर एवं विढ़मंफाल मौजूद थे। क्षेत्रीय वन अधिकारी मीरजापुर एवं मड़िहान की मुहर नही लग पायी थी जिसे अब लगा दिया गया हैं। |

विषयक के सम्बन्ध संदर्भित पत्र द्वारा उठाई गयी आपत्तियो का निवारण कर बिन्दुवार आख्या Tabular Format में निम्न प्रकार प्रेषित हैं :-

**मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांक- 13/11-सी/ FP/UP/THERMAL 14236/2015 लखनऊ दि0 05.07.2016 के कम में**

| Observ No. | Observation of GoI | Reply |
|---|---|---|
| 1. | प्रस्ताव में सभी बचनबद्धताओं पर प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हैं। | प्रस्ताव में संलग्न सभी बचनबद्धता प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर दिये गये हैं। |
| 2. | प्रस्तावक संस्था द्वारा पूर्व मे जस्टीफिकेशन नोट में 7.6398 हे0 अंकित कर पार्ट-ए में अपलोड किया गया था जिसे अभी भी 8.3581 हे0 संशोधित कर अपलोड नही किया गया हैं। | प्रस्तावक संस्था द्वारा पार्ट-ए में संशोधन कर संशोधित क्षेत्रफल 8.3581 अंकित कर दिया गया हैं। |
| 3. | गजट नोटिफिकेशन पर प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर अंकित है परन्तु मार्ग को चिन्हित नहीं किया गया हैं। | प्रस्ताव मे संलग्न गजट नोटिफिकेशन में जलापूर्ति बावत भूमिगत पाइप लाइन एवं सम्पर्क मार्ग हेतु प्रस्तावित आराजी चिन्हित कर दी गयी हैं। |

D:\Setelment\setelment drafting\saptahiki.doc